PIM Chart-1

सहभागी सिचाई प्रबन्धन एक दृष्टि में

जल उपभोक्ता समिति के उद्देश्य

- जल का साम्यापूर्ण व सामयिक वितरण ।
- मितव्ययी जल प्रयोग को बढ़ावा ।
- सतही, भूगर्भ जल को बढ़ावा ˙
- विविधी व सघनीकरण उपायों से कृषि का त्वरित विकास ˙
- पर्यावरण का संरक्षण ˙।

जल उपभोक्ता समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य

- संबंधित कार्यों हेतु किसी भूमि पर प्रवेश, जल मार्ग आदि की बन्दी।
- आवश्यक होने पर फसल आदि की कटाई ।
- भवन, हाता, उद्यान में प्रवेश हेतु 7 दिनों का नोटिस ।
- क्षति हेतु प्रतिकर देय।

PIM Chart-1

कुलाबा, अल्पिका तथा राजबाहा समिति के कृत्य

- जल की प्रास्थिति की सदस्यों को जानकारी देना।
- फसल वार जल मांग पत्र बनाना।
- जल प्राप्त कर निचले स्तर पर वितरण।
- जल आय व्ययक बनाना।
- अनाधिकृत सिंचाई रोकना।
- अपराध की सूचना तथा जांच में सहयोग देना।
- फसलों की वार्षिक रिपोर्ट बनाना।
- विकास कार्यो की योजना बनाना तथा क्रियान्वयन।
- सिंचाई अंकन, शुल्क निर्धारण एवं वसूली में सहायता एवं सहभागिता।

कुलाबा समिति के अतिरिक्त कार्य

- जल मार्गो एवं मैदानी नालों का निर्माण तथा रखरखाव।
- भू–धारकों मे जल वितरण।
- माइनर या रजबहा समिति के अतिरिक्त कार्य
- सिंचाई प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण तथा सुधार।
- विशेष मरम्मत एवं सुधार।
- कुलाबा तथा अल्पिका की समिति न होने पर, शक्ति तथा कार्य ठीक ऊपर वाली समिति द्वारा।
- अन्य समितियां न होने पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा

कुलाबा समिति का गठन

- सामान्य निकाय– कुलाबे के समस्त जल उपयोगकर्ता ।
- मत का अधिकार वयस्क एवं विहित अर्हता वालों को।
- अवयस्क के स्थान पर नैसर्गिक संरक्षक को।
- प्रबन्धन समिति के पद हेतु ग्राम पंचायत सदस्य की पात्रता।

PIM Chart-3

कुलाबा पर प्रबन्धन समितियां अधिनियम की धारा–8 नियम–6

- कुलाबे कमांड का छः भागों मे विभाजन।
- प्रत्येक भाग मे लगभग समान कृषक।
- प्रत्येक भाग से एक प्रतिनिधि।
- महिला, अ0जा0/अ0ज0जा0 व पंचायत प्रतिनिधि न होने पर सहयोजन
- अध्यक्ष व सचिव का समिति द्वारा चयन।
- एक से अधिक पद का धारण नही।
- सदस्य के विफल होने पर विहित विधि से वापसी।
- रजबहा तथा शाखा से सीधे निकलने वाले कुलाबों को विहित संख्या मे समूह बनाकर रजबहा/शाखा समिति से संबद्ध फेडरेटेड अल्पिका समिति का गठन।
- इस समिति का स्तर अल्पिका का स्तर।
- इन समितियों की प्रबन्ध समितियां रजबहा/शाखा की सामान्य सभा में ।
- इस प्रकार समिति का गठन सम्भव न होने पर अधिकार सक्षम अधिकारी को।
- नहर से सीधे निकालने वाले कुलाबा समिति हेतु सक्षम नहर अधिकारी को ठीक ऊपर वाली समिति मे समस्त अधिकार।

अल्पिका, रजबहा, शाखा समितियों का गठन

- ठीक नीचे वाली समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्य साधारण निकाय
- शाखा से निकलने वाली अल्पिकाओं हेतु प्रबन्धन समिति रजबहा से निकलने वाले कुलाबों की प्रक्रिया के अनुरूप

PIM Chart-3

अल्पिका, राजबहा, शाखा समितियों की प्रबन्धन समितियां

- प्रबन्धन समिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा विहित संख्या मे अन्य सदस्य।
- अनु0जा0 / जन जा0 महिला तथा उपयुक्त स्तर की टेल पंचायत का प्रतिनिधित्व।
- सदस्यों का निर्वाचन विहित अवधि तथा रीति से ।
- विफल होने पर वापसी का प्राविधान।
- पदाधिकारियों का निर्वाचन समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा।